

12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 35-एक/2008 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
26-10-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा -  
प्रकरण क्रमांक 96/1993-94 अपील

1- श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि स्व.हीरालाल  
2- बिनोदकुमार 3- रवि 4- गोपाल  
पुत्रगण स्व.हीरालाल निवासीगण ग्राम बकहो  
तहसील सोहागपुर जिला शहडौल, मध्यप्रदेश  
विरुद्ध

-----आवेदकगण

1- श्यामसुन्दर पुत्र रामप्रसाद साहू  
मृत वारिस

1. सत्यदेव 2. सुनील पुत्रगण स्व.श्यामसुन्दर  
निवासी ग्राम बकहो तहसील सोहागपुर

2- जैन मंदिर पेपर मिल अमलाई द्वारा  
कार्यवाहक अध्यक्ष तहसील अमलाई  
जिला शहडौल

-----अनावेदकगण

(आवेदक के श्री एस.के.बाजपेयी अभिभाषक)

(अनावेदक क-1 के वारिसान के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

(अनावेदक क-2 का नाम निग. से विलोपित)

(अनावेदक क-3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है)

आ दे श

(आज दिनांक-11-01-2018 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण  
क्रमांक 96/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2007  
के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत  
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि सहायक अभिलेख अधिकारी शहडौल द्वारा ग्राम बकहो की भूमि सर्वे क्रमांक 1146 के विभाजन की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने कलेक्टर जिला शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 110/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-1987 से अपील खारिज कर दी। कलेक्टर जिला शहडौल के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 96/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2007 से सहायक अभिलेख अधिकारी शहडौल का आदेश तथा कलेक्टर जिला शहडौल के प्रकरण क्रमांक 110/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-1987 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया कि सभी हितधारी व्यक्तियों को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाय। आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनावेदक क्रमांक-1 ने कलेक्टर न्यायालय में अपील आवेदन देकर अभिलेख की त्रुटि को सुधार करने की मांग रखी थी। कलेक्टर ने सहायक अभिलेख अधिकारी से वस्तुस्थिति की जांच कराई। जांच में यह मिला कि अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियां स्वत्व एवं स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार है। अनावेदक क्र-1 का स्वत्व जितनी भूमि पर है उसी अनुसार उसका कब्जा भी है। इसी आधार पर कलेक्टर शहडौल ने अपील निरस्त की है परन्तु अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 96/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक

निगरानी प्र.क्र. 35/एड/2008

26-10-2007 से पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर शहडौल ने वास्तविकता को नहीं जांचा परखा, क्योंकि ग्राम बकहो की भूमि स. क्र. 1146 के 13 सर्वे नंबर बनाये गये है जिनमें गलतियाँ हुई है और उन्हींको स्थल के मान से तथा पुराने नक्शा , खसरा के मान से दुरुस्त करके सही स्थिति निकल सकती है उन्होंने अपर आयुक्त के Rimand order को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम बकहो की भूमि सर्वे क्रमांक 1146 के 13 सर्वे नंबर बनाये गये है। इन 13 सर्वे नंबरों के विभिन्न भूमिस्वामी है जिन्हें कलेक्टर के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है और इन 13 सर्वे नंबरों के विभिन्न भूमिस्वामियों को सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला है जिसके कारण अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 96/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2007 से कलेक्टर शहडौल के अपूर्ण जांच पर आधारित आदेश को निरस्त करते हुये हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। प्रत्यावर्तन के परिणाम-स्वरूप उभय पक्ष के साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी तहसील न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 20-10-07 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 96/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-10-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर